

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- रा०कृ०वि०यो०को०-33/2018- 450 /कृ०,पटना, दिनांक 04/07, 2019  
प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,  
विशेष सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत गोदाम निर्माण के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत कुल 87.00 लाख रुपये (सतासी लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत गोदाम निर्माण के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम अंतर्गत कुल 87.00 लाख रुपये (सतासी लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत गोदाम निर्माण के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम से अनुदान टॉप-अप करने के लिए विवरणी निम्न प्रकार है :-

क्र०	कार्यक्रम	सहायता दर	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार भौतिक लक्ष्य	राज्य स्कीम वित्तीय लक्ष्य
1	गोदाम निर्माण	अनु०जाति/अनु०जनजाति रु० 300000/- प्रति ईकाई राज्य स्कीम से अतिरिक्त सहायता	101 (सामान्य 72 एवं अनु० जाति/अनु० जनजाति 29)	87.00

(राशि लाख रु० में)

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार (वित्तीय वर्ष 2018-19) अंतर्गत गोदाम निर्माण का राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 के रूप में संलग्न

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत गोदाम निर्माण के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्कीम से अनुदान टॉप-अप करने के लिए राज्य स्कीम से 87.00 लाख रु० व्यय किया जायेगा।

5. अनुसूची-1 के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी होंगे। स्वीकृत राशि की निकासी जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट शीर्ष एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रु० में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
	इन्टेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना (राज्य योजना)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0106- इन्टेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-1- 2401001090106, विषय शीर्ष-0106.33.01-सब्सिडी	2012.43	0.00
(ii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0106-इन्टेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-1-2401007890106, विषय शीर्ष-0106.33.01-सब्सिडी	387.94	78.00
(iii)	मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना- मांग सं०-1 उपशीर्ष-0134-इन्टेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-1- 2401007960134, विषय शीर्ष-0134.33.01-सब्सिडी	24.24	9.00
	योग	2424.61	87.00

7. इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना (राज्य योजना) बजट शीर्ष में कुल स्वीकृत राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण तत्काल उपलब्ध राशि का आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा। शेष राशि का तृतीय अनुपूरक आगणन में राशि प्राप्ति पश्चात ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758/वि० दिनांक-31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-33/2018 के पृ०सं०-22/टि. पर दिनांक-11.01.2019 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-रा०कृ०वि०यो०को०-33/2018 के पृ०सं०-28/टि. पर दिनांक-28.01.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या-18 दिनांक-25.01.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
Robin Das  
4-2-19

(रवीन्द्र नाथ राय)

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/कृ०, पटना दिनांक 04/02/2019

ज्ञापांक - 450

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. Das

4-2-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04/02/2019

ज्ञापांक 450

/कृ०,

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. Das

4-2-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04/02/2019

ज्ञापांक 450

/कृ०,

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D. Das

4-2-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 04/02/2019

ज्ञापांक 450

/कृ०,

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

D. Das

4-2-19

विशेष सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

**अनुसूची-1**  
**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार (वित्तीय वर्ष - 2018-19) अंतर्गत**  
**गोदाम निर्माण का राज्य स्कीम अंतर्गत जिलावार/कोटिवार वित्तीय लक्ष्य**

भौतिक -संख्या में  
वित्तीय- लाख रू० में

क्र० सं०	जिला का नाम	(सामान्य जाति)		(अनुसूचित जाति)		(अनुसूचित जन जाति)		कुल लक्ष्य	
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार भौतिक लक्ष्य	वित्तीय	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार भौतिक लक्ष्य	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सीवान	5	0.00	2	6.00	1	3.00	8	9.00
2	गोपालगंज	4	0.00	1	3.00	0	0.00	5	3.00
3	मुजफ्फरपुर	7	0.00	3	9.00	0	0.00	10	9.00
4	सीतामढ़ी	7	0.00	2	6.00	0	0.00	9	6.00
5	पूर्वी चंपारण	5	0.00	3	9.00	0	0.00	8	9.00
6	दरभंगा	6	0.00	2	6.00	0	0.00	8	6.00
7	मधुबनी	7	0.00	2	6.00	0	0.00	9	6.00
8	समस्तीपुर	6	0.00	3	9.00	0	0.00	9	9.00
9	सहरसा	3	0.00	1	3.00	0	0.00	4	3.00
10	सुपौल	3	0.00	1	3.00	0	0.00	4	3.00
11	मधेपुरा	3	0.00	1	3.00	0	0.00	4	3.00
12	पूर्णिया	5	0.00	2	6.00	1	3.00	8	9.00
13	किशनगंज	3	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.00
14	अररिया	3	0.00	2	6.00	0	0.00	5	6.00
15	कटिहार	5	0.00	1	3.00	1	3.00	7	6.00
	कुल	72	0.00	26	78.00	3	9.00	101	87.00

